चंदूलाल चंद्राकार शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
(हेमचंद विश्वविधालय से संबंधित)

एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर 2021-22 हेतु

प्रकल्प-कार्य (Project Report)

शोध विषय - भारतीय कर प्रणाली

प्रस्तुतकर्ता

नाम - चॉदनी सिन्हा
रोल नं. - 20307049004
नामांकन - DA/2017/03760

को. गाइड
तृप्ति वर्मा
अतिथि सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र

गाइड
डॉ आर.एल.कोसरे
विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)

—: प्रमाण पत्र :—

मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट कार्य भारतीय कर प्रणाली का समग्र अध्ययन को यह प्रारूप पूर्व से किसी डिग्री डिप्लोमा हेतु प्रयुक्त ह।शैक्षणित सत्र 2021—2022 मेंहेतु यह शोध प्रयास मूल प्रयास हैं।

स्थान—धमधा

दिनांक— 12.04.2022

शोधार्थी हस्ताक्षर

नाम — चाँदनी सिन्हा

कक्षा — एम.ए.चतुर्थ सेमेस्टर

(अर्थशास्त्र)

नामाकन नं. — DU / 2017 / 03760

रोल नं. — 20307049004

—:धन्यवाद ज्ञापन :—

मै अभारी हूं कि हमारे महाविद्यालय के कला विभाग के प्राध्यपको एंव मेरे शोध विषय(भारतीय कर प्रणाली) के समस्त अध्ययन के निर्देशक डॉ. आर. एल. कोसरे सर (विभागध्यक्ष),सहायक निर्देशक तृप्ति वर्मा (अतिथि सहायक प्रध्यापक) जिसके मार्ग दर्शन मे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूर्ण करने हेतू विशेष प्राप्त हुआ ।

मै सभी प्रध्यापक तृप्ति वर्मा एंव उन सभी का भी अभार व्यक्त करना चाहता हूं तिाने मुझे प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रूप से मुझे शोध कार्य को पूर्ण करने हेतू सहयोग प्रदान किया ।

स्थान – धमधा

दिनांक –

शोधार्थी हस्ताक्षर

नाम – चॉदनी सिन्हा

कक्षा – एम.ए.चतुर्थ सेमेस्टर

(अर्थशास्त्र)

नामाकन नं. – DU / 2017 / 03760

रोल नं. – 20307049004

—: अनुकमणिका :—

क.नं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	शीर्षक	01—01
2.	शोध चयन करने का कारण	02—02
3.	भारतीय कर प्रणाली का उद्देश्य	03—03
4.	भारतीय कर प्रणाली का परिकल्पना	04—05
5.	भारतीय कर प्रणाली का प्रविधि	06—08
6.	भारतीय कर प्रणाली का परिचय	09—10
7.	भारतीय कर प्रणाली का प्रस्वान,परिभाषा,अर्थ	11—12
8.1.	करारोपण के उदेश्य	11—11
8.2	कर के लक्षण ,विशेषताएं	12—13
9	भारतीय कर प्रणाली के प्रकार	13—17
10	एक अच्छी कर प्रणली की विशेषताएं	18—20
11.1	जे.एस.टी. के प्रकार,विशेषत, लाभ	20—23
11.2	जे.एस.टी. दर	24—24
12.1	भारत के कर प्रणली के गुण	25—26
12.2	भारतीय कर प्रणाली के दोष	26—26
12.3	शोध की उपलब्धिया	27—27
13.1	सुझाव	28—28
13.2	निष्कर्ष	28—28
14	संदर्भ ग्रन्थ	29—29

भारतीय कर प्रणाली

1. शीर्षक :–

भारतीय कर प्रणाली हैं जिसमें केन्द्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसुलती हैं। जिसमें प्रत्यक्ष कर के अंन्तर्गत व्यक्तिगत आयकर और निगमकर शामिल किये जाने के संदर्भ मे......................

2 .शोक चयन करने का कारण :–

(1) भारतीय कर प्रणाली जी,एस,टी के पूर्व किस तरह प्रभावित करता था।

(2) सी,जी,एस,टी एस,जी,एस,टीआई,जी,एस,टी की जानकारी प्राप्त करना।

(3) कर की अनिवार्यता का ज्ञान प्राप्त करना।

(4) प्राप्त कर के द्वारा सरकार लोगो के जीवन स्तर में सुधार किस तरह करता हैं।

(5) जी,एस,टीके बाद भारतीय कर प्रणाली के द्वारा धन का पुनः चकीय करण।

(6) कर के माध्यम से सरकार देश मे विकास करती है उसकी जानकारी प्राप्त करना।

3. शोध के उद्देश्य:–

(1) भारतीय कर प्रणाली का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ।

(2) करो से जनमानस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ज्ञान।

(3) कर के माध्यम से सरकार अपनी आय मे वृद्धि करती हैं। और उस आय का उपयोग सरकार जनकल्याण कार्य मे करती हैं।

(4) कर के माध्यम से देश में फैंले धन की विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया हैं।

(5) प्रगतिशी कर लगा कर सरकार धनी वर्ग से अधिक कर लेकर विषमता को दूर किया।

(6) सामाजिक एवं आर्थिक भलाई।

(7) कर के माध्यम से सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता हैं।

(8) कर लगाने का कारण विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना हैं।

4. शोध परिकल्पना :–

सामान्य रूप से शासन सम्बंधी कार्य संचालन के लिए व्यक्तिगत इकाईयों पर अनिवार्य उद्ग्रहण के रूप में कर (टैक्स) लगाए जाते हैं। करो को सामान्यतः राज वृद्धि का ही साधन माना जाता है किन्तु राष्ट्र की अर्थ नीति को भी ये प्रभावित करते हैं। कर लगाने का कारण विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना तथा यथा संभव राष्ट्र की विषमता को दूर करना हैं। इसीलिए जिनकी अधिक आय है उन्हे कम आय वालो की अपेक्षा अधिक मात्रा में कर देना पडता हैं।

5.शोध प्रविधि :–

शोध कार्य का सहारा समस्या समाधान हेतु सर्वोत्तम विकल्प चयन के लिए किया जाता हैं। शोध कार्य तभी सफल हो सकता हैं जब शोध उद्देश्य एवं परिकल्पना स्पष्ट निश्चित परिभाषित हो शोध कार्य के तहत समंको की आवश्यकता होती हैं ।

ये समंक दो प्रकार की होती हैं–

- प्राथमिक समंक
- द्वितीयक समंक

1.प्राथमिक समंक–

वे समंक जिन्हे अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता हैं प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकडे कहा जाता हैं इस तरह के संकलन में अनुसंधानकर्ता ही स्वयं नये सिरें से समंको का आंकलन ,वर्गीकरण,विश्लेषण तथा प्रकाशन करता हैं।

दुसरें शब्दों में हम यह कह सकते हैं की प्राथमिक समंक वें समंक होते हैं जिन्हें पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संकलित किया जाता हैं।

स्त्रोतः–

अनुसुची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन।

2. द्वितीयक समंकः–

द्वितीयक समंक ऐसे समंको को कहा जाता हैं। जिन्हे पूर्व में ही किसी व्यक्तियों संस्थाओं या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किया जा चुका हैं लेकिन कोई नया अनुसंधानकर्ता द्वारा इन्ही आंकडो का इस्तेमाल अपने अनुसंधान में करता हैं यानी की उसके लिए समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं।

द्वितीयक समंक सही मायने में वो होते हैं जिन्हें पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संकलित और विश्लेषण के साथ प्रकाशित किया जा चुका हों।

उदाहरणः–

एम.एम.ब्लेयर के अनुसार –

"द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों केलिए उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्धेश्य से पहले भी एकत्रित किये जा चुके हैं।"

स्त्रोतः–

पत्र, पत्रिका, डायरियों आदि।

6.शोध का परिचयः—

भारत में कर प्रणाली दो प्रकार की करों की अनुमति देती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भारत में लम्बें समय तक कर प्रणाली भारत की लम्बाई और चौडाई को देखते हुए जटिल थी। जी. एस. टी लागु होने के बाद जो की भारत में सबसे बडे कर सुधारों में से एक हैं प्रकिया चिकनी हो गई हैं।

भारत में लागु विभिन्न प्रकार के टैक्स इनकम टैक्स जी. एस. टी. टैक्स टी. डी. एस.टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स सर्विस टैक्स—

कैसे फाइल करे	क्या हैं	कैसे कैलक्युलेट करे
इनकम टैक्स ई—फाइलिंग	जी. एस. टी.	टी. डी. एस. रेट
इनकम टैक्स रिटर्न	इनकम टैक्स	जी. एस. टी. रेट
एडवांस टैक्स	ई—वे बिल	वेतन पर टी. डी. एस.
टी. डी. एस. रिटर्न	टी. डी. एस.	एच. आर. ए.कैलक्युलेशन

चाहे आप दुनिया में कही भी रहतें हो पर आपको स्थानीय सरकार को कर का भुगतान करना ही होता हैं टैक्स कई प्रकार के होते हैं जैसे स्टेट टैक्स (राज्य कर) सेण्टर गवर्नमेंट टैक्स (केन्द्र सरकार का कर) डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) इन डायरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर) इत्यादि।मुख्यतः भारत में टैक्स को दो श्रणियों में विभाजित किया गया हैं डायरेक्ट और इन डायरेक्ट टैक्स यह इस बात पर निर्भर करता हैंकि सरकार को कर का भुगतान किस तरह किया जा रहा हैं।

टैक्स क्या हैं....

टैक्स शब्द लैटिनश्शब्द "टैक्यों से आया हैं एक टैक्स एक अनिवार्य श्शुल्क या वित्तीय शुल्क हैं जो सरकार द्धारा किसी या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाये जाते हैं जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यकमों के लिए उपयोग किसा जाता हैं कानुन के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स का भुगतान न करने पर जुर्माना या सजा मिलने लगती हैं।

आधुनिक सरकारो के लिए कराधान आय का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं लोकतंत्र में कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान हैं कर करदाता द्धारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान हैं जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व सम्पति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता हैं कर एक ऐसा भुगतान होता हैं जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाये गये कानूनो के अनुसार दिया जाता हैं इसके बदलें में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती हैं।

7.शोध विषय भारतीय कर प्रणाली के प्रस्तावना ,परिभाषा व अर्थः–

❖ प्रस्तावनाः–

कर सरकार को किया गया वह अनिवार्य भुगतान हैं जिसका कोई सीधा संबंध सरकारी सेवाओं से करदाता को प्राप्त लाभ के साथ नही होता हैं इन्ही विशेषताओ के कारण कर की कीमत से पृथक किया जाता हैं क्योकि कीमत किसी वस्तु या सेवा के लिये किया गया स्वैच्छिक भुगतान हैं ।

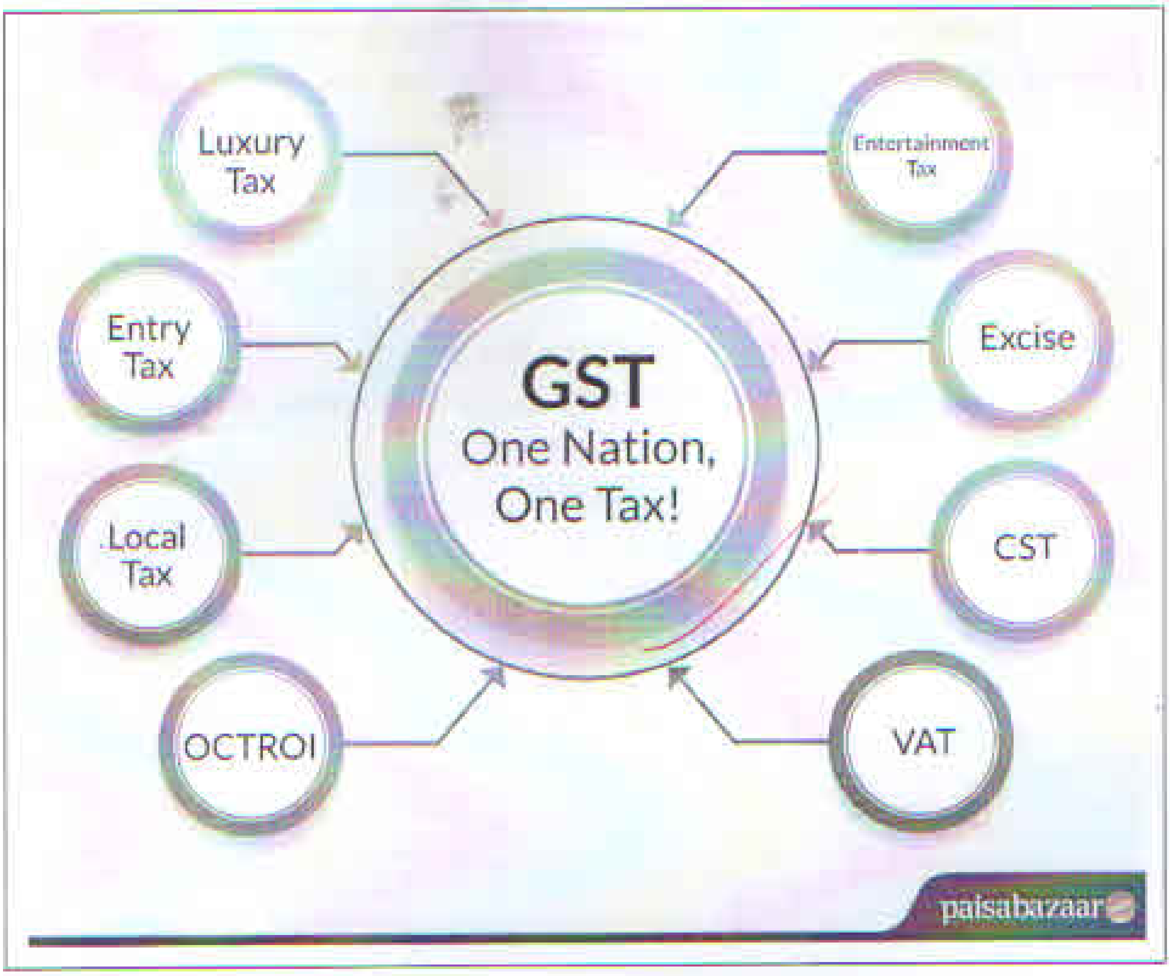

कर का अर्थ:–

कर एक अनिवार्य अंशदान हैं जो करदाता सरकार को देता हैं करदाता को कर के बदले में प्रत्यक्ष लाभ का आश्रासन नही दिया जाता हैं करों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता हैं

कर की प्रमुख परिभाषाएँ:–

- डॉ.डाल्टन के अनुसार–

"कर किसी सार्वजिक सत्ता द्वारा लगाया हुआ एक अनिवार्य अंश्दान हैं,चाहे इसके बदले में करदाता को सेवाएँ प्रदान की गई हैं अथवा नहीं यह कर किसी कानूनी अपराध की संज्ञा के रू॰ में नही लगाया जाता हैं।"

- प्रो॰ टेलर के शब्दो में–

वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा में करदाता द्वारा दिये जाते हैं कर है।

8.1 करारोपण के उद्देश्यः–

करारोपण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. आयं की प्राप्तिः–

करारोपण के प्रमुख उद्देश्यसार्वजनिक आय प्राप्त करना हैं।सरकार के बढते कार्य के लिये आवश्यक धन की प्राप्ति के लिये कर लगाये जाते हैं।

2.धन की असमानता को दुर करनाः–

समाज की अर्थव्यवस्था में आय व धन की असमानताओ को कम करना भी करारोपण के प्रमुख उद्देश्य हैं धनी वर्ग पर अधिक कर लगाकर उससे प्राप्त धन को सामाजिक लाभ के लिये व्यय करना सरकार का लक्ष्य होता हैं।

3.मुद्रा–स्फीति को नियन्त्रित करना–

आय व विनियोग में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि सें मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती हैं तो उसको नियंत्रण में लाने के लिये भी लगाये जाते हैं।

4.पूँजी निर्माण करना–

कर नीति द्वारा वर्तमान उपभोग में कटौती करके बचतों में वृद्धि कीजा सकती हैं इसके अतिरिक्त करारोपण द्वारा विभिन्न उत्पादक एवं अनुत्पादक क्षेत्रों में पुनर्वितरण करके पुँजी निर्माण को बढाया जा सकता हैं।

8.2 कर के लक्षण या विशेषताएँ

कर के लक्षण या विशेषताएँ इस प्रकार हैं

1.अनिवार्य अंशदान–

कर सरकार को दियें जानें वाला अनिवार्य अंशदान हैं कर का भुगतान न किये जाने पर करदाता को सजा दी जाती हैं कोई व्यक्ति इस आधार पर कि ऐसे वोट देने के अधिकार नही हैं सरकार को कर देने से मना नही किया जा सकता हैं एक व्यक्ति कर सें जब तक बच सकता तब तक वह उस वस्तु का उपयोग न करनें का उद्देश्य से उसे कय न करे जिसपर कर लगाया जाता हैं।

2.करों से प्राप्त आय सबके हित में व्यय की जाती–

राज्य का उद्देश्य सभी नागरिको का कल्याण या हित करना हैं देश के प्रत्येक नागरिक कई तरह से राज्य पर निर्भर रहता हैंऔर बिना राज्य का की सहायता के उसका अस्तित्व खतरे में पड जाता हैंआज देश के विकास और कुशल सेवाओं के उद्देश्य से बहुत से राज्य को सौंप दिये जाते हैं जिनकी पूर्ति के लिये राज्य को बहुत खर्च करना पडता हैं।

3.कर किसी विशेष सेवा के लिये किया जाने वाला भुगतान नही हैं–

कर के भुगतान का राज्य अथवा उससे प्राप्त लाभ सें कोई संबंध नही होताहैं यह मुमकीन नही होता हैं कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में कर का भुगतान करें पर उसे राज्य से कोई लाभ न हो। प्रो॰टॉजिग ने कर को अन्य शुल्को से भिन्न बताते हुऐ कहा हैं कि करो में भुगतान करने वाला एवं राज्य के बीच देने और लेने अथवा प्रत्सक्ष प्रतिफल का संबंध नहीं होता।

4.सरकार के द्वारा निर्धारण–

करों का निर्धारण यक्तियों की इच्छानुसार नही किया जाता वरन सरकार विशिष्ट नियमों एवं कानूनो के अंतर्गत करों का निर्धारण करती हैं।

5.व्यक्तियों का भुगतान–

कर वस्तु,सम्पत्तियों व आय पर लगाया जा सकता हैं पर इसका भुगतान व्यक्तियों कि आय से ही किया जाता हैं।

9. भारतीय कर प्रणाली के प्रकार:–

1. प्रत्यक्ष कर
2. अप्रत्यक्ष कर

1.प्रत्यक्ष कर के अर्थ:–

जब किसी कर का करापात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर पडता हैं तो वह करें प्रत्यक्ष करे कहलाते हैं।

प्रत्यक्ष का जिस व्यक्ति पर लगाये जाते हैं उसका भुगतान उसी उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता हैं करदाता उसका भार दुसरो पर टाल नही सकता।

उदा॰

आय कर ,उत्तराधिकारी कर ,निगम कर ,मृत्यु कर ,उपहार कर , कृषि आय कर , सम्पत्ति कर।

अप्रत्यक्ष कर कर अर्थः–

अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका करापात एक व्यक्ति पर तथा कराघात का भुगतान या कर भार दूसरे व्यक्ति पर पडता हैं अर्थात सरकार द्वारा कर का जिस व्यक्ति पर लगाया जाता हैं वह कर के भार को दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देता हैं।

उदा॰

बिकी कर ,आयात–निर्यात कर ,उत्पादन कर ,मनोरंजन कर।

विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों की दरें:–

1. आयकर:–

हर व्यक्ति उम्र और वेतन के अनुसार एक डिफरेंट कर बैकेट के तहत आता हैं।प्रत्यक्ष कर दरों के तीन अलग – अलग प्रकार के हैं।

60 वर्ष से कम आयु के हैं–

स्लैब सीमा	आयकर दर
2.5 लाख तक	शून्य

250001रू. से लेकर 500000 रू.तक	कुल आय का 5: जो 2.5 लाख + 4: सेस से अधिक है।
500001से 1000000रू. तक	कुल आय का 20: जो 5: लाख 12500 रू.+ उपकरण से अधिक हैं
10 लाख रू. से अधिक की आय	कुल आय का 30 फीसदी जो 10 लाख 112500 + 4 फीसदी सेस से अधिक है।

वरिष्ट नागरिकों के लिये जो 60वर्ष सें अधिक हैं लेकिन 80वर्ष से कम आयु के है–

स्लैब की सीमा	आयकर दर
3लाख तक	शून्य
300001से 500000रू. तक	कुल आय का 5: जो 3 लाख + 4:सेसे अधिक हैं।
500001रू. से लेकर 1000000रू. तक	कुल आय का 20:जो 5: लाख रू. से अधिक हैं 10500 रू.+4: सेस
10 लाख रू. से अधिक आय	कुल आय का 30 को 10 लाख 110000 + 4सेस से अधिक

सुपर सीनियर सिटीजन के लिये यानी निवासी भारतीय जिनकी आयु 80वर्ष से अधिक है–

स्लैब की सीमा	आयकर दर
5लाख रूपय तक	शून्य
5लाख रूपय से लेकर 1000000	5 लाख रू. से अधिक की कुल

रू. तक	आय का 20: + 4 की उपकर
10लाख रू. से अधिक की आय	कुल आय का 30: जो की 10 लाख 100000 + 4: सेस से अधिक हैं।

नई कर व्यवस्था–

1 फरवरी 2020 को वित निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था लागू की थी। यह नई व्यवस्था केवल वैकल्पिक हैं। लोग चुन सकते हैं कि इस एक या मौजुदा एक का पालन करें। नई कर व्यवस्था के लिये नई कर दर संरचना नीचे दिया गया हैं–

आय कर स्लैब	कर की दर
ढाई लाख रू. तक	शून्य
250001रू.से 500000रू. तक	कुल आय का 5: जो 2.5 लाख + 4: सेस से अधिक है।
500001 रू. से 750000 रू. तक	कुल आय का 10: जो 5 लाख + 4: सेस से अधिक है।
750001रू. से 1000000रू. तक	कुल आय का 15: जो 7.5 लाख + 4: सेस से अधिक है।
1000001रू. से 1250000रू. तक	कुल आय का 20: जो 10 लाख + 4: सेस से अधिक है।
रू. 1250001 से 1500000रू. तक	कुल आय का 25: जो 12.5 लाख + 4: सेस से अधिक है।
1500001रू. से अधिक	कुल आय का 30: जो 15 लाख + 4: उपकर से अधिक है।

2. कॉर्पोरेट आयकरः–

स्थानिय और अंतरराष्ट्रीय व्यपसायो के लिये कर दरें निम्नलिखित हैं।

घरेलु व्यवसायः–

अगर कंपनी का रेवेन्यु 250 करोड रू. से कम तो निगम टैक्स की दर 25: हैं। हालांकि, अगर कंपनी की बिकी 250 करोड रू. से अधिक हैं तो निगम कर की दर 10: हैं यदि कर योग्य आय 1करोड रू. से 10 करोड रू. के बीच हैं।तो आपसे कर योग्य आय का 10: अधिभार लिया जायेगा।अगर कंपनी की टैक्सेबल इनकम 10 करोड रू. से अधिक हैं,तों12:का सरचार्ज लगाया जाता हैं।

अंतरराष्ट्रीय कंपनियांः–

1करोड रू. से कम उत्पादन करने वाली फार्मों पर 41.2: का निगमटी टैक्स लगाया जाता हैं निगम टैक्स में 40: बेस टैक्स और 3: एजुकेशन सेस होता हैं। एक करोड रू. से अधिक कमाये जाने पर फर्मो पर 42. 024: का निगम कर लगाया जाता हैं निगम टैक्स में 40: बीएसिक सेस हाता हैं अगर कोई कंपनी 10 करोड रू. से अधिक कमाती हैं तो वह बेस टैक्स के टॉप पर 5सरचार्ज के अधिन हैं।

3 पूँजीगत लाभ पर कर–

अल्पकालिन पूँजीगत लाभ पर मानक का दरों के अनुसार कर लगाया जाता हैं। सदि पूँजीगत लाभ की गणना इंडेक्सेशन लाभ को ध्यान में रखकर की जाता हैं तो दीर्घकालिन पूँजीगत लाभ पर 20: की दर सें कर लगाया जाता हैं

यदि पूँजी गााई एनएस कर की गणना इंडेक्सेशन लाभ पर विचार किये बिना की जाती हैं। तो दीर्घकालिन पूँजीगत लाभ पर 10: कर लगाया।

10. एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता:–

1. कर एक अनिवार्य भुगतान होना चाहिए :–

यदि कर दाताओं ने कर लगाने योग्य पर्याप्त स्थितियों ने कर लगाने योग्य पर्याप्त स्थितियो को प्राप्त कर लिया है तो कर भुगतान अनिवार्य है अतः कुछ परिस्थितियों के अधीन ही कर देना अनिवार्य हैं उदाहरण के रूप में यदि एक व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है तो वह तंम्बाकू पर बिकी कर देने से इन्कार कर सकता हैं।

2 त्याग का तत्व होना चाहिए :–

कर भुगतान में त्याग का तत्व भी शामिल होना चाहिए। जब हम कोई जीज खरीदते हैं तो हमें कीमत देनी ही पडती है। परन्तु करो के प्रकरण में कम से कम सैदांन्तिक रूप मे त्याग की भावना होती हैं। क्योकि करदाता सार्वजनिक हित में कर देता हैं।

3 कर सरकार को दिया गया भुगतान हो :–

कर अधिकृत संस्थाओं द्वारा लगाया जाते हैं। और ऐसी संस्थाओं से हम सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को नही ले सकते । इसलिए कर केवल जनता द्वारा सरकार को किया गया भुगतान हैं।

4 कर एकत्रीकरण का लक्ष्य जन कल्याण हो:–

सामान्य जनता के लाभ तथा समस्त समुदाय के अधिकतम कल्याण के लिए कर लगाए तथा एकत्रित किये जाते है। कर

राजस्व का व्यम समाज के समग्र कल्याण को ध्यान मे रखते हुए किया जाता हैं। न कि किसी विशेष वर्ग को ध्यान मे रखते हुए।

5 कर लाभो की कीमत पर नहीं :-

कर सरकार द्वारा लोगो को दिए गए लाभो का मूल्य नही करो का भुगतान निः संदेह सामान्य लोगो को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से किया जाता है। परन्तु इसका एकत्रीकरण के लिए नहीं किया जाता ।

6 प्राप्त लाभ स्पष्ट रूपमें कर की वापसी नहीं है:-

सरकार लोगों को इस बात की गांरटी नही देती कि वह एक विशेष व्यक्ति के इस को उसके द्वारा करो के रूप में किए भुगतान की वापसी अथवा उसके अनुपात में लाभ उपलब्ध करवायेगी ।

7 कर व्यक्तियो द्वारा किये जाते हैं :-

कर व्यक्ति द्वारा दिया जाता है यद्यपि वह व्यक्तियों की संपत्ति अथवा वस्तुओं पर भी लगाए जाते है। कर लेना एक व्यक्तिगत दायित्व है । इसलिए सभी कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते है न कि उन वस्तुओं और संपत्तियो द्वारा जिन पर वे लगाए जाते है ।

8 .कानूनी स्वीकृतिः -

जब सरकार कर लगाने का अधिनियम पारित कर देती है तो उसके पश्चात् टी कर लगाया जा सकता है ।करों के पीछे कानूनी स्वीकृति होती है । उनका एकत्रीकरण भी कानूनी होता है तथा एक व्यक्ति जो कर देने में असफल रहता है उसे कानूनी दण्ड दिया जा सकता है ।

9 कर की विभिन्न किस्त में कई प्रकार के हो सकते है जैसे – आय . कर बिक्री कर . धन कर मनोरंजन कर संपत्ति कर जल कर गृह कर आदि ।

10 व्यापार तथा उद्योग पर कोई प्रभाव नही :-

एक अच्छा कर व्यापार तथा उद्योग की वृध्दि में रूकावट नही बनता बल्कि यह देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायता करता है इसकी रचना इस प्रकार की जाए । जिससे अतिरिक्त साधन गतिशील हो तथा उनका प्रयोग सामान्न कल्याण के लिए हो।

11.1. GST (GOOD AND SERVICES TAX):-

प्रस्तावनाः–

GST एक मूल्य वर्जित कर हैं जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओ की आपूर्ति पर एक एकल कर हैं। प्रत्येक चरण का भुगतान किये गये इनपुट करो का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरणों में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मुल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रू॰ से एक कर बना देता हैं।

भारत में 1जुलाई सन् 2017 से लागु एक महत्वपुर्ण अप्रत्सक्ष कर व्यवस्था हैं। जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्री इसे स्वतंत्रता के बाद इसे सबसे बडा सुधार मानते हैं। इसके लागू होने से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्धारा भिन्न – भिन्न दरों पर लगाये जा रहे थे इन विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिये एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई हैं। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिये भारतीय संविधान में संसोधन किया गया था।

जीएसटी की आवश्यकताः–

भारतीय संविधान नें उत्पादन और सेवाओ पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को तथा वस्तु का बिकी पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया था।जिसके हिसाब से सभी ने अपने हिसाब से कर लगाये थे। इस प्रणाली में एक वस्तु पर कई कर लद जामे

थे। कभी–कभी तो कर के उपर कर की स्थिति भी बन जाती थी । इन समस्यों से बचने के लिये जीएसटी को लागू किया गया।

जीएसटी की प्रमुख विशेषता:–

पुराने कर सिस्टम कमियों को प्रणाली में उत्पादन के जगह उपभोग पर दूर करने के लिये भारत सरकार नें 1जुलाई 2017 को जीएसटी के रूप में एक नये करप्रणाली को लागु किया जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।–

इस कर प्रणाली में उत्पादन के जगह उपभोग पर कर लगता हैं।पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण इसमें धांधली की आशंका कम हो जाती हैं। राज्य सरकार मनमानी कर नहीं लगा सकती हैं।

जीएसटी के प्रकार:–

वैसे तो जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली हैं, परंतु भारत में इसे 4 अलग–अलग नामों से जाना जाता हैं।

- केन्द्रीय माल और सेवा कर:–

जब कोई कारों बार एक ही राज्य के दो या दो से अधिक काराबारियों के बीच होता हैं तो कर के रूप में उनके द्वारा केन्द्र को दी गई धनराशि ब्ळैज कहलाती हैं।

- राज्य वस्तु या सेवा कर:–

जब कोई कारों बार एक ही राज्य के दो या दो से अधिक काराबारियों के बीच होता हैं तो कर के रूप में उनके द्वारा राज्य को दी गई धनराशि GST कहलाती हैं।

- **केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवा करः–**

  जब कोई कारों बार किसी केन्द्र श्शासित राज्य के दो व्यपाकरयों के बीच होता हैं तो व्यापारियों द्धारा केन्द्र श्शासित राज्य को दिया गया कर न्ज ळैज कहलाती है।

- **एकीकृत माल या सेवा कर :–**

अगर कोई व्यापार दों अलग–अलग व्यापारियों के बीच होता हैं तो उससे मिलने वाले कर का लाभ केन्द्र व राज्य सरकार दोनों का होता हैं।उसे प्ळ ळैज कहते हैं।

जीएसटी के लाभ :–

जीएसटी से लगभग सभी क्षेत्रों को लाभ हुआ हैं जो कि निम्नवत् हैं –

- **सामान्य लोगो को लाभ –**

1. एक वस्तु पर लगने वाले अनेक करो से छुटकारं मिल गया।

2. प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के कर दर में कमी।

3. सरकार की आमदनी में वृद्धि से शिक्षा,स्वास्थ,परिवहन,आदि के सेवाओं में सुधार कें आसार, इत्यादि

- **व्यवसायों कों लाभः–**

1. हर राज्य के अलग–अलग करों व चुंगियों से छुटकारा

2. कारों बार व मुनाफे में वृद्धि करना।

3. केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर लघु उद्योग व उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये कारोंबार में रियासतें दें रही हैं। इत्यादि

जीएसटी सें हानियां :–

किसी भी प्रणाली के फायदें के साथ–साथ कुछ नुकसान भी होते हैं जीएसटी के भी अपने कुछ नुकसान भी हैं। जों निम्नलिखित हैं।

व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने के लिये जीएसटी सॉफ्टवेसर खरीदना जीएसटी के कारण निम्न वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई हैं–

1 स्कुल का फीस

2 कूरियर सेवायें

3 मोबाईल बिल में

4 निवेश में

5 बैंकिग प्रबंधन सेवाएँ

6 मकानों का किराया में तम्बाकु मे

7 सिगरेट उत्पादन में

8 स्वास्थ्य संबंधित सेवाऐ

9 रेल या मेट्रो से यात्रा करना इत्यादि।

11.2 GST की दरें :–

GST काउंसिल ने पांच तरह के कर निर्धारित किए है ये 0; 5; 12 ; 18एवं 28 प्रतिशत । हांलाकि बहुत सी चीजों को जी. एस. टी से छुट दी गई हैं।

उन वस्तुओ पर कोई कर नही लगेगा सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजे जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आयेगी –

0 प्रतिशत – आवश्यक वस्तुएँ ;दुघ , लस्सी ,दही , शहद , फल , सब्जियॉ ,आटा ,बेसन , मछली , मांस , अंडा ,नमक ,बिन्दी ,सिन्दुर ।

5 प्रतिशत – काफी ; कोयला; पनीर ।

12प्रतिशत – घी ;मक्खन ; जुस ; कोल्ड्रीक ।

18 प्रतिशत तेल ; क्रीम ; लिपिस्टिक ; हेयर ।

28 प्रतिशत – कन्डिसनर ; कार ; सिमेट ; परफ्युम ; मोटर साइकिल (लक्जरी बसे) ।

12.1 भारत की कर प्रणाली के गुणः–

1 .बहु कर प्रणाली का होनाः–

भारतीय कर प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता हैं करों की विविधता अर्थात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही करो को शामिल कर बहु प्रणाली को साकार रूप दिया गया है ।

2 अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करनाः –

आमतौर पर करो का अर्थ यही समझा जाता है । कि कर लगाए ही इसीलिए जाते है कि ताकि जनता से सीधे –सीधे आय प्राप्त की जायें लेकिन वास्तव में इसका प्रमुख उद्देश्य जनता से आय अर्जित करना नही होता बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक लाभ प्रदान करना भी होता है ।

3 कर प्रणाली का लोचपूर्ण होना :–

चूंकि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करों की दरों में लगातार परिवर्तन करते हुए राजस्व में परिवर्तन कीये जाते है ।अर्थात यह कहा जा सकता हैं कि भारतीय कर प्रणाली लोचपूर्ण हैं।

4 समता के सिद्वांत पर आधारित होनाः–

देश के प्रणाली का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाता है।कि धनी व्यक्ति पर कर का भार अधिक तथा निर्धन व्यक्ति पर कर का भार कम पडे ।

5 .सरलीकृत कर प्रणाली का होना:–

हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि कर की प्रणाली इतनी सरल व सीधी हो कि साधारण व्यक्ति भी अपना कर का नियोजन आसानी से कर सकें।

12.2 भारतीय कर प्रणाली के दोष:–

1 .भारती कर प्रणाली अव्यवस्थित हैं। इसका विकास वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया हैं।

2 भारतीय कर व्यवस्था असंतुलित हैं क्योकि इसमें करारोपण से प्राप्त कुल आय में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करो का योगदान अधिक हैं।

3 भारतीय कर प्रणाली न्यायशीलता का कडाई से पालन नहीं करती जिस कारण धनी वर्ग के अपेक्षा करो का भार निर्धन वर्गो पर अधिक पडता हैं।

4 भारतीय कर प्रणाली कार्यकुशल नहीं है! इसी कारण भारत में ज्यादातर बडे पैमाने पर करो की चोरिया होती हैं।

12.3 शोध की उपलब्धियाः–

मूलतः टैक्स वह राशि है जिस पर सरकार चलती है और अपने नागरिक को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करती है । टैक्स का भुगतान करने के लाभ निम्नलिखित है–

1. अपना टैक्स भुगतान सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिको के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बिना किसी बाधा के चलती रहेगी ।

2 .आप लोन या केडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज का उपयोग कर सकते है ।

3 .इस टैक्स की राशि से सरकार अपने नागरिक के लिए बेहतर सुविधाऐं और उपयोगिताओं को निधि दे सकती है । जो बदले में जीवन –स्तर में सुधार करने में मदद करती है।

4 .सरकार को बहुत सारे कार्य करने होते है और जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है।

5 .सरकार कर के प्राप्त आय का उपयोग सेनाओ बुनियादी ढांचे के विकास नागरिको की सुरक्षा प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी किया जाता है ।

13.1 सुझाव :–

भारतीय कर प्रणाली के द्वारा ही हमारे समुचे राष्ट्र का विकास संभव है इसलिए हमे कर की चोरीसे बचाना चाहिए और कर का भुगतान निश्चित अवधि मे कर दिया लाना चाहिए एंव व्यापारिऐ के लिए जे.एस.टी. अधिक फायदेमंद है। अगर जनमानस को जे.एस.टी. ा फायदालेना है तो हमे अधिक मात्रा मे जे.एस.टी. से जुडना चाहिए । व्यापार के माध्यम से हम जे.एस.टी. से जुडकर हम हम भी जे.एस.टी. से मुनाफा पा सकते है।

13.2 निष्कर्ष :–

कर प्रणाली की रचना सभी देशों में तथा सभी समय में किसी एक ही सिद्वांत पर आधारित नही हो सकती हैं। इतना सभी मानते है कि कर व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए । व्यवहार में किस प्रकार न्यायपूर्ण कर व्यवस्था कायम की जा सकती है इसका कोई सहज उत्तर नही दिया जा सकता । भारत प्रगतिशील कर लगाकर धन कि विषमता को दूर किया है। तथा देश में जी.एस टी. के लागू होने से तरह –तरह के अप्रत्यक्ष करो को मार्च करके केवल जी. एस. टी के रूप में कर प्रणली दो प्रकार की होती है।1 प्रत्यक्ष कर 2 अप्रत्यक्ष कर ।

14.संन्दर्भ ग्रन्थ सुची :–

1.इंन्टरनेट :–

- https://GST/hi.m.wikipedia.org>wiki
  (भारतीय कर प्रणाली –विकिपीडिया)।

- https:// भारतीय कर प्रणाली
  /google/www.academia.edu

2.सामाचार पत्रः–

हरिभूमि ,पत्रिका, दैनिक भास्कर ,नई दुनिया , पत्रिका।

3. शोध उपकरण :–

विद्यालय (बुक ग्रथालय), मोबाईल,कम्प्युटर।